राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर –152/2011 (पुराना)
–140/2018 (नया)

1. मोतीलाल आयु 64 साल
2. नंदलाल आयु 44 साल
3. राधेश्याम आयु 50 साल
4. सीताराम आयु 48 साल
5. निरंजन आयु 40 साल

पुत्रान स्व. श्री मांगेलाल जाति ब्राहमण नि0 त्यौंदा तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनू

.....वादीगण

बनाम

1. चन्दो पत्नी स्व. दुर्गादत आयु 70 साल
2. कैलाशचन्द 47 साल } पुत्रान स्व. दुर्गादत
3. रमेशप्रसाद 40 साल }
4. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. जगदीशप्रसाद पुत्रवधु दुर्गादत आयु 40 साल
5. रामावतार पुत्र स्व. जगदीशप्रसाद आयु 25 साल
6. सविता आयु 12 साल } पुत्री/पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद नाबालिगान
7. कालू आयु 15 साल } जरिये माता लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. जगदीशप्रसाद की संरक्षता में जाति ब्राहमण निवासी सिहोड़ तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज0
8. बुल्की पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद आयु 22 साल जाति ब्राहमण निवासी बियाली तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा
9. राज0 राज्य जरिये भू स्वामी तहसीलदार, खेतड़ी, राज0

.....प्रतिवादीगण

वाद–घोषणात्मक खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 15–09–2020

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम रामपुरा तहसील खेतड़ी के खतौनी खातेदार संवत् 1999 के खाता सं. 16 के खसरा नंबर 124 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 170 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 381 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा का एकांकी खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता श्री मांगेलाल पुत्र रामदयाल ब्राहमण खुद काश्त दर्ज रिकार्ड है। वर्णित भूमि में से ख.नं. 381 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का विवाद है, प्रतिवादीगण के पति/पिता/ससुर/दादा दुर्गादत के नाम से गलत दर्ज हो गया। दुर्गादत वादीगण के ताऊ मूंगाराम का जंवाइ (दामाद) है जो सिहोड़ तह0 खेतड़ी का है। दुर्गादत के पास कोई रोजगार नहीं था, इस कारण से वादीगण के पिता ने ख.नं. 381 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि दुर्गादत को 3–4 साल के लिए बंटाई पर दी थी कि वह इस भूमि को काश्त करके अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करे। इसलिये गिरदावरी संवत् 2013 मे गिरदावरी के ख.नं. 16 में प्रतिवादीगण के पति/पिता दुर्गादत का नाम दर्ज हो गया। जबकि संवत् 2012 व 2016 की गिरदावरी के ख.नं. 381 में वादीगण के पिता मांगेलाल का नाम दर्ज है। राजस्व अधिकारिया ने बिना कोई जांच किये ही दुर्गादत के प्रभाव में आकर ख.नं. 381 की खातेदारी उसी के नाम से करदी जो आज दिन तक दुर्गादत के नाम से व दुर्गादत के देहान्त के बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगा. 3 व प्रतिवादी सं. 4 लगा. 8 के

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पति/पिता के नाम से दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। हाल खसरा नं. 2545 रकबा 0.44 है. वाके ग्राम त्यौंदा कदीम से ही वादीगण के पिता के समय से उनके कब्जे काश्त में है। अतः वादीगण को पूर्व रिकार्ड राजस्व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकारी प्राप्त है जिसकी वे घोषणा कराने के अधिकारी है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

(क) ग्राम त्यौंदा तह0 खेतड़ी स्थित आराजी हाल ख.नं. 2545 रकबा 0.44 है. का वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर तद्नुसार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 लगा. 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वे वाद वर्णित भूमि भूमि हाल ख.नं. 2545 रकबा 0.44 है. वाके ग्राम त्यौंदा को या उसके बिना भाग को अन्य किसी को दान, बेचान, रहन अथवा हस्तांतरित ना करे व वादीगण के कब्जे काश्त मे कोई बाधा/दखलंदाजी आदि ना स्वयं करे ना ही अपने परिजनों आदि से करावे।

उक्त वाद पत्र दिनांक 23–03–2012 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील आवेदकगण ने श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के यहाँ की जिस पर अपील सं. 72/2012 दिनांक 23–08–2012 को स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–3–2012 खारिज किया जाता है तथा पक्षकारान की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्ष को बाद पुनः अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। हाल ख.नं. 2545 रकबा 0.44 है. वाके ग्राम त्यौंदा जिसका साबिक ख.नं. 381 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा है राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। वादी ने तर्क किया कि साबिक खसरा नंबरान 124 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 170 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा एवं ख.नं. 381 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बिस्वा उनके पिता मांगेलाल के खाते में दर्ज थे, समर्थन में प्रदर्श–3 पेश किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तीनों नंबर मांगेलाल वल्द रामदयाल के खाते में दर्ज रिकॉर्ड थे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी 2012–15 का अवलोकन किया गया। संवत् 2012 में ख.नं. 381 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा उप कृषक मांगेलाल दर्ज है किन्तु स्तम्भ सं. 16 में काबिज काश्त दुर्गादत्त ब्राहमण सा. सिहोड़ दर्ज है जो कि प्रतिवादीगण का हकपूर्वाधिकारी है। वादीगण ने संवत् 2012 की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं कि जिससे कि उस समय के रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट हो जाती। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी की नकल से स्पष्ट है कि ख.नं. 381 धारा–19, राजस्थान काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत दुर्गादत्त ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज हो गया क्योंकि उस समय उक्त नंबर पर उसका कब्जा काश्त था और यह खसरा गिरदावरी से भी स्पष्ट है। प्रतिवादी सं. 1 ने राजीनामा पेश किया और 2, 3 व 8 ने इकबाली जवाबदावा जरिये वकील पेश किया, साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.–1 वादी नं. 1 का शपथ–पत्र पेश किया गया। वर्तमान में साबिक नं. 381 का हाल ख.नं. 2545 दुर्गादत्त के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है, चूंकि भूमि दुर्गादत्त के खाते में संवत् 2012 के पश्चात् कब्जे के आधार पर दर्ज हुई थी तभी से निरंतर उसके व उसके वारिसान के खाते में दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–3 काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का है, वादीगण के अधिकार संवत् 2012 के पश्चात् ही समाप्त हो गये थे, वर्तमान में ऐसी खातेशुदा भूमि का इकबाली जवाब या राजीनामे के हस्तान्तरण राजस्व हानि स्पष्टतः प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण एवं प्रस्तुत राजीनामा के खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत राजीनामा के खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/9/20

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner